न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहरपीठासीन अधिकारी,
रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 95/2017

प्राथी :–
चम्पालाल पुत्र हिमताराम जाति माली निवासी चौकड़ीखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. हिमताराम पुत्र मंगाराम
2. जबराराम पुत्र हिमताराम
3. धर्माराम पुत्र हिमताराम फौत के कायम मुकाम–
   3/1 सोहनी पत्नि धर्माराम
   3/2 नरेश पुत्र धर्माराम
   3/3 विरेन्द्र पुत्र धर्माराम
   3/4 संध्या पुत्री धर्माराम
4. ओमाराम पुत्र हिमताराम
5. संहिता पुत्री हिमताराम
6. तीजा पुत्री हिमताराम
7. सन्तुदेवी पत्नि आईदानराम
8. भंवराराम पुत्र धोकलराम
9. अमराराम पुत्र गोपाराम
10. हडमानराम पुत्र गोपाराम सभी जातियान माली निवासीगण ग्राम चौकड़ीखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ताः–
श्री रामकिशोर सांखला प्रार्थी की ओर से
श्री राजेन्द्र देवड़ा व श्री विजय चौहान अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 12.10.2017

प्रार्थीग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया हैं कि ग्राम चौकड़ीखुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से छः की पुश्तैनी कब्जाशुदा भूमि ख.न. 379/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 382/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 401/1 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 862 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 924 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही प्रथमी कुल खसरा 5 कुल 32 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है, जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2059 से 2062 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त

आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से छः संयुक्त रूप से काबिज होकर सहुलियत अनुसार काश्त कार्य

करते आये है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से छः अपने अपने 1/7:1/7:1/7:1/7:1/7:1/7 हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी अपने 1/7 वां हक हिस्से को भूमि पर काबिज होकर काश्त कार्य करता आया है उक्त 1/7 हिस्से का प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से छः संयुक्त रूप से काबिज होकर सहुलियत अनुसार काश्त कार्य करते आये है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित आराजी है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक छः से शामलाती रूप से काबिज काश्त है वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक माप व सीमांकन के बंटवाड़ा किया हुआ नही है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है। दिनांक 12.05.2017 को अप्रार्थी संख्या एक अजनबी खरीददारान को साथ लेकर वादग्रस्त आराजी पर आया एंव वादग्रस्त आराजी को बैचान करने की नियत से दिखानें लगा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है जिसके प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा निहित है आपको अविभाजित कृषि भूमि को बैचान करने का कोई विधिक अधिकार नही है इस पर अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी से अत्यधिक नाराज हो गया एंव ऐलानिया धमकि दी कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में अप्राथी संख्या एक के नाम है तथा पूर्व में भी मैने वादग्रस्त आराजी में कुछ भूमियों का बैचान कर दिया है तथा अब वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तांतरण करके रहुंगा एवं मौके की कीमति भूमि पर अजनबी खरीदारान का कब्जा करवाके रहुंगा तथा वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर प्रार्थी को वादग्रस्त से वंचित कर दुंगा जबकि अप्रार्थी संख्या एक को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है इसलिए न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तब प्रार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या एक ने वादग्रस्त आराजी में से कुछ भूमिया ख.न. 382/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख.न. 401/2 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या सात व आठ को बैचान कर दी व ख.न. 379/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्राथी संख्या नौ व दस को बैचान करने का कोई विधिक अधिकार

नही है वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका आज दिन तक माप व सीमांकन के बंटवाड़ा किया हुआ नही है जिसके प्रत्येक इंच पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से छः का हक व हिस्सा निहित है। इस पर यह प्राथना पत्र बाबत

अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान व अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के हक में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ग्राम चौकड़ीखुर्द में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 379/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 382/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 401/1 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 862 रकबा 9 बोघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 924 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही प्रथमी कुल खसरा 5 कुल 32 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के बंट व हिस्से में आई भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वंय दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तातंरण नही तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके को यथास्थिति बनाये रखें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर ,अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के समन बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9,10 की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 7,8 के समन बाद तामिल न्यायालय में प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 एवं 9,10 की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम चौकड़ी खुर्द की सीमा में स्थित भूमि ख.न. 379/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 382/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 401/1 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 862 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 924 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही प्रथमी कुल खसरा 5 कुल 32 बीघा 12 बिस्वा है। उक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या एक हिमताराम की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर अप्रार्थी

संख्या एक हिमताराम ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या एक ने परिवार की जायज जरूरत से वादग्रस्त आराजी में से ख.न. 382/2 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा व ख.न. 401/2 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा जमीन अप्रार्थी संख्या सात व आठ को बैचान

कर दी थी तथा मौके पर ही कब्जा प्रतिवादी संख्या सात व आठ को सुपुर्द कर दिया था। इसके अलावा ख.न. 379/1 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा जमीन को प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या नौ व दस को बैचान कर दी थी तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा भी निष्पादित करवा दिये थे तथा मौके पर खरीददारान का कब्जा सुपुर्द कर दिया लेकिन बेचानसुदा जमीन को भी प्राप्ति हेतु वादग्रस्त जमीन बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा कब्जा प्राप्ति हेतु कोई वाद ही पेश नही किया तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा निरस्त करने हेतु कोई वाद पेश नही किया जिससे भी वाद व प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर श्रीमान न्यायालय हाजा में वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया रजिस्टर्ड बैचाननामा स्वतः शुन्य नही होकर शुन्यकरणीय दस्तावेज होता है जबकि प्रार्थी ने रजिस्टर्ड दस्तावेज निरस्त करवाने हेतु कोई वाद पेश नही किया तथा न कब्जा प्राप्ति हेतु वाद पेश किया तथा बैचानसुदा जमीन को भी वाद व प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि बताकर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो काबिल खारिज के है। दिनांक 12.05.2017 को अप्रार्थी संख्या एक कतई अजनबी खरीददारान को वादग्रस्त भूमि पर लेकर नही आये तथा अप्रार्थी संख्या एक कतई वादग्रस्त भूमि बैचान नही कर रहा है। अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जायज परिवार की आवश्यकता होने से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो से छः की सहमति से ही भूमि बैचान की थी। अप्रार्थी संख्या एक अब अपनी खातेदारी जमीन कतई बैचान नही कर रहा है। अतः जवाब दावा पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या, सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान व अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के हक में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ग्राम चौकड़ीखुर्द में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 379/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 382/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 401/1 रकबा 9 बीघा 10

बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 862 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 924 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही प्रथमी कुल खसरा 5 कुल 32 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के बंट व हिस्से में आई भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वंय दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें। अप्रार्थीगण वादग्रस्त

5.

आराजी का बैचान हस्तातंरण नही तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9,10 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम चौकड़ी खुर्द की सीमा में स्थित भूमि ख.न. 379/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 382/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 401/1 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, ख.न. 862 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 924 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही प्रथमी कुल खसरा 5 कुल 32 बीघा 12 बिस्वा है। उक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या एक हिमताराम की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर अप्रार्थी संख्या एक हिमताराम ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या एक ने परिवार की जायज जरूरत से वादग्रस्त आराजी में से ख.न. 382/2 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा व ख.न. 401/2 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा जमीन अप्रार्थी संख्या सात व आठ को बैचान कर दी थी तथा मौके पर ही कब्जा प्रतिवादी संख्या सात व आठ को सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या, सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 9,10 द्वारा पेश जवाब, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्राथमिक तौर पर वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पति प्रतित होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। तथा अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी उसके पक्ष में ही पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चौकड़ीखुर्द के ख.न. 379/1,382/2,401/1,862,924 भूमि में प्रार्थी

के बंट व हिस्से में आई भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी उत्पन्न नही करें। न ही वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण करें एवं न ही खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा करें। वादग्रस्त आराजी की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

6.

निर्णय आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर